FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम–26)

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

वाद पत्र संख्या ..... / 2024

किस्म मुकदमा : अधिकार घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955

रामोतार आदि **बनाम** **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.08.24	पत्रावली पेश हुई। सुनवाई हेतु आवाज पर अधिवक्ता वादीगण उपस्थित आये। अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वादीगण के द्वारा हस्तगत वाद के जरिये वर्तमान में दर्ज राजस्व ग्राम नोरंगपुरा तहसील खेतड़ी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.04 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 32 रकबा 2.48 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.12 हेक्टेयर जो पूर्व में निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि दर्ज रही है, की धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत खातेदारी चाही गई है। वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यानुसार निष्क्रान्त (कस्टोडियन) भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत राजस्व विभाग के नियमों/अधिनियमों/परिपत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। राजस्व (पुनर्वास) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (15) राजस्व/ पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.2009 के अनुसार ऐसी निष्क्रान्त कृषि भूमि जिसका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी समस्त निष्क्रान्त कृषि भूमि जिसका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज करना है। तदोपरान्त इस प्रकार की निष्क्रान्त कृषि भूमि समस्त उद्देश्यों के लिए सिवायचक भूमि हो जायेगी तथा सिवायचक भूमि के संबंध मे जितने भी प्रावधान विभिन्न राजस्व अधिनियमों/नियमों/ परिपत्रों/आदेशों मे है वे सभी इस प्रकार की भूमि पर भी लागू हो जायेगें। भविष्य में इस प्रकार की समस्त भूमि का आवंटन तदानुसार किया जाना है। राजस्व (पुनर्वास) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (15) राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.2009 के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे राजकीय (सिवायचक) खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9 (79) रेवेन्यू–6/2011/23 दिनांक 03.10.2013 से राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन) नियम, 1963 के नियम 6 (4) में संशोधन कर निष्क्रान्त भूमि पर **उपकृषकों** के रूप में जिनका नाम दर्ज है उनका **कब्जा** मानते हुये राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,	

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

1970 के नियम 20 के तहत नियमन का प्रावधान किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2012–2015 राजस्व ग्राम नोरंगपुरा में दर्ज वादग्रस्त भूमि के खातेदार हाजी अब्दूल रहमान खां वल्द सुल्तान खां मुसलमान साकिन बबाई दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों की हैसियत केवल उपकृषक/उपधारी की रही है। वादग्रस्त भूमि विभिन्न राजस्व अधिनियमों/नियमों/परिपत्रों/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में ही राजकीय दर्ज रिकार्ड हुई है। इसलिये कब्जे के आधार पर वर्तमान राजकीय भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के प्रावधान लागू नहीं होते है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः वादीगण का हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला- नीमकाथाना (राज.)

8/8/24

उपखण्ड अधिकारी,